[2021] 12 एस. सी. आर. 259

एसईपीसीओ विद्युत शक्ति निर्माण निगम

बनाम

पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

(सिविल अपील सं। 4936-4937 2021 का)

24 अगस्त, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 9 , 37 - वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - एस. 13 (1 ए)-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-एक 'अनुसूचत बैंक' और एक 'अनुसूचत भारतीय बैंक' से बैंक गारंटी-अपीलार्थी, चीन में निगमित एक इकाई को भारत में कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं के संबंध में अनुबंध दिए गए थे।

और प्रत्यर्थी, भारत में निगमित एक कंपनी, अपीलार्थी के उप-ठेकेदार के रूप में लगी हुई थी-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-मध्यस्थता खंड लागू किया गया-मध्यस्थता पुरस्कार प्रत्यर्थी के पक्ष में लगभग 1,00,000 रुपये (एक सौ बयालीस करोड़ रुपये) का पारित किया गया-अपीलार्थी ने एक आवेदन दायर किया s.34of मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने वाला अधिनियम

उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग-प्रत्यर्थी ने भी यू/एस के तहत एक आवेदन दायर किया। 9 मध्यस्थता अधिनियम में मध्यस्थता पुरस्कार की राशि को सुरक्षित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश देने की मांग की गई-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को निर्देश दिया कि वह रजिस्ट्री को भारत में स्थित अनुसूचित बैंक से 3 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रदान करे-1 करोड़ रुपये की राशि के लिए, 1 करोड़ रुपये की राशि के लिए, 1 करोड़ रुपये की राशि के लिए,

बनर्जी के अनुसार, जेः आई. सी. बी. सी. भी एस. के अर्थ में एक अनुसूचित बैंक है। 2 (ई) आर. बी. आई. अधिनियम का-आर. बी. आई. अधिनियम केवल 'अनुसूचित बैंकों' को परिभाषित करता है जिसमें भारत में काम करने वाले अनुसूचित विदेशी बैंक शामिल हैं-आर. बी. आई. अधिनियम में अनुसूचित भारतीय बैंक की कोई परिभाषा नहीं है-न्यायालय वैध रूप से किसी ऐसे बैंक की बैंक गारंटी को अस्वीकार कर सकता है जिसके पास एक ऋण है।

12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इतिहास जो अपनी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह पैदा करता है

तत्काल मामले में, आई. सी. बी. सी. की विश्वसनीयता या इसकी वित्तीय क्षमता या गारंटी का सम्मान करने की इच्छा के संबंध में किसी भी संदेह को जन्म देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है-इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी को बदलने का निर्देश देने में गलती की-प्रति वी. रामसुब्रमण्यन, जे. : यह एक ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता, एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव देने के बाद

अनुसूचित भारतीय बैंक ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में हुई एक गलती का लाभ उठाने का विकल्प चुना है जिसे बाद में ठीक कर दिया गया था-दिनांकित 09.04.2019 एक गलती को सुधारने के लिए था जो अनजाने में हो गई थी-यह सवाल कि क्या वैधानिक रूप से मौजूद है, "अनुसूचित भारतीय बैंक" और "भारत में स्थित एक अनुसूचित बैंक" के बीच कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है।

इस मामले में विचार, क्योंकि विवाद मुख्य रूप से इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि एक पक्ष द्वारा अदालत में क्या पेशकश की गई थी, अदालत में क्या स्वीकार किया गया था, और आदेश में क्या दर्ज किया गया था और बाद में स्पष्ट किया गया था इसलिए, विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है-नहीं हस्तक्षेप यू/कला। 136 संविधान की आवश्यकता-चूंकि दोनों न्यायाधीश सहमत नहीं हो पाए हैं, इसलिए मामले को उचित निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.4936

4937 2021 से।

(2019 का सीओएमएम) 136। के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सतविक वर्मा, रंजीत प्रकाश, अपूर्व सिंघल, गौरव लवानिया, हर्ष गोखले, पाई अमित, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , धर्मेश मिश्रा, प्रतीक गुप्ता, कृष्ण देव जगरलामुदी, साहिल गर्ग, विशाल सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश दिए गए:

न्याय

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें एक निर्णय और दिनांकित आदेश के खिलाफ हैं।

27.11.2020 , दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम v. को खारिज करते हुए पारित किया।

पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर 2019 की एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) No.136 होने के नाते, जिसे इसके बाद, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13 (1ए) के साथ संक्षिप्त में "ए एंड सी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, और दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पारित 16.05.2019 दिनांकित आदेश की पुष्टि की गई है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत ओ. एम. पी. (आई) (सी. ओ. एम. एम.) No.523/2017 में न्यायालय, जिसके तहत न्यायालय ने अपने पहले के दिनांकित आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया।

4. ये अपीलें केवल उच्च न्यायालय के निर्देश की वैधता के प्रश्न तक ही सीमित हैं, जिसमें अपीलार्थी को एक आई. सी. बी. सी. द्वारा जारी कानूनी रूप से वैध अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी, जो भारत में व्यवसाय करने वाला एक अनुसूचित बैंक है, एक "अनुसूचित भारतीय बैंक" द्वारा जारी समतुल्य राशि की बैंक गारंटी के साथ।

5. अपीलार्थी, चीन में निगमित एक इकाई को भारत में विभिन्न कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं के संबंध में अनुबंध दिए गए थे और

प्रत्यर्थी, भारत में निगमित एक कंपनी, अपीलार्थी के उप-ठेकेदार के रूप में लगी हुई थी। प्रत्यर्थी और अपीलार्थी के बीच विवादों और मतभेदों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। विवरण.

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध, या उससे उत्पन्न होने वाले विवाद और मतभेद, इन अपीलों में शामिल मुद्दों के लिए अप्रासंगिक हैं। यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थता का समापन [2021] 12 एस. सी. आर. में हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी के पक्ष में लगभग 1,00,000 रुपये (एक सौ बयालीस करोड़ रुपये) का दिनांकित पुरस्कार।

6. 03.12.2017 पर, अपीलार्थी ने ओ. एम. पी. होने के कारण ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया। (सी. ओ. एम. एम.) 2017 की संख्या 432 चुनौतीपूर्ण

दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग में दिनांकित 17.10.2017 का मध्यस्थ पुरस्कार, जो लंबित है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने एक आवेदन दायर किया

8. 12.02.2019 पर, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालय की एकल पीठ ने ओ. एम. पी. में एक आदेश पारित किया। (I) (COMM.) नं. 523/2017 अपीलार्थी को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को अनुसूचित बैंक से Rs.30 करोड़ की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश देना।

भारत में स्थित है। दिनांकित 12.02.2019 आदेश का सक्रिय भाग नीचे दिया गया है:

" 3. ..... इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

4. निर्णय देनदार दो (2) सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करेगा, जिसकी एक प्रति वकील को प्रस्तुत की जाएगी।

फरमान धारक।

5. जहाँ तक बैंक गारंटी का संबंध है, यह होगा

वकील द्वारा बताए अनुसार 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया।

6. इसके अलावा, Rs.30 करोड़ की राशि में बैंक गारंटी होगी।

भारत में स्थित किसी अनुसूचित बैंक का हो।

7. 31.7.2019 पर मामले को फिर से सूचित करें।

8. इस बीच, निर्णय देनदार इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना जारी रखेगा

दिनांकित आदेश 24.7.2018।”

9. 22.03.2019 पर, अपीलकर्ता ने ICBC से Rs.30 करोड़ की देय राशि के लिए एक बिना शर्त, अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी जारी करने के लिए कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक से मांग करें। बैंक गारंटी की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति 26.03.2019 पर रजिस्ट्री में दाखिल की गई थी।

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने खर्च किया

बैंक सह-विद्युत शक्ति निर्माण निगम विद्युत परियोजना लिमिटेड के लिए लगभग 1,00,000/- (तीस लाख) का व्यय।

यह बैंक गारंटी देने के लिए है। इसके अलावा, चीन में सी के साथ अपीलार्थी के बैंक खाते में 5,40,00,000/- की राशि को रोक दिया गया था।11. हालांकि, आई. सी. बी. सी. द्वारा जारी बैंक गारंटी को प्रतिस्थापित करने के लिए एकल पीठ ने आई. सी. बी. सी. को एक अनुसूचित भारतीय बैंक से समतुल्य राशि की एक बैंक समिति द्वारा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में दायर किया गया था। उक्त आदेश के चींटी पैराग्राफ नीचे निकाले गए हैं:

" 5. इसके अलावा, श्री सेठी का कहना है कि दिनांकित 12.02.2019 के आदेश के अनुपालन में जिसमें प्रतिवादी को एक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी

एक अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी, प्रतिवादी ने उसी का पालन किया है और एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की है

इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड (संक्षेप में)

" आई. सी. बी. सी ")।

6. हालांकि, आदेश के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि श्री सेठी ने एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की पेशकश की थी

अनुसूचित भारतीय बैंक और यह कि आदेश के परिचालन भाग को निर्देशित करते हुए, मैंने संकेत दिया था कि यह भारत में स्थित एक अनुसूचित बैंक होगा, इसलिए, यदि कोई भ्रम पैदा होता है तो अब उसे हटा दिया जाता है। प्रत्यर्थी बैंक का स्थान लेगा।

अनुसूचित भारतीय बैंक की गारंटी के साथ दायर की गई गारंटी

7. प्रतिस्थापन लंबित होने पर, रजिस्ट्री पहले से जमा की गई बैंक गारंटी को बनाए रखेगी और प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि उसे जीवित रखा जाए। 8. पहले से दाखिल की गई बैंक गारंटी वैध है या नहीं, इस मामले को संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) के समक्ष रखा जाएगा।

23.04.2019 .

8.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि जब भी प्रत्यर्थी आई. सी. बी. सी. द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी से बदलने के लिए तैयार होता है, तो एक उचित आवेदन के माध्यम से उस ओर से किए जा रहे अनुरोध पर, संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) आई. सी. बी. सी. द्वारा दी गई बैंक गारंटी जारी करेगा, बशर्ते अनुरोध को प्रत्यर्थी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के एक वचन द्वारा समर्थित किया जाए कि वह अनुरोध की तारीख से 10 दिनों से अधिक की निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी को रिकॉर्ड पर रखेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. न्यायालय के निर्देश के अनुसार, पंजीयक (न्यायिक)

उच्च न्यायालय का प्रभाग (एकल पीठ) अपीलार्थी को आई. सी. बी. सी. द्वारा जारी बैंक गारंटी को अनुसूचित भारतीय बैंक के समतुल्य मूल्य की बैंक गारंटी के साथ प्रतिस्थापित करने का निर्देश देता है। 14. दिनांक 16.05.2019 के एक आदेश द्वारा, विद्वान एकल पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त आवेदन को खारिज कर दिया:

" 5. मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर सकता हूं कि आई. सी. बी. सी. की साख पर किसी भी तरह से संदेह करना इस अदालत का प्रयास नहीं है। हालांकि, रिकॉर्ड से पता चलता है कि आवेदक/प्रतिवादी ने वास्तव में अपने दम पर अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी देने की पेशकश की थी। भ्रम, यदि कोई हो, मन में

आवेदक/प्रत्यर्थी, जैसा कि श्री निगम द्वारा सही बताया गया है, को 09.04.2019 पर हटा दिया गया था। आवेदक/प्रत्यर्थी ने लगभग चार सप्ताह के बाद इस आवेदन को आगे बढ़ाया है।

इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, आवेदक/प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर एक आदेश पारित करने के बाद, मुझे ऐसा करने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता है।

दिशा को याद रखें। "

15. दिनांकित 09.04.2019 और 16.05.2019 आदेशों से, यह दिखाई देता है

कि उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी पर जोरदार आपत्ति जताते हुए जोरदार तर्क दिया था कि अपीलकर्ता ने स्वयं वकील के माध्यम से अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की पेशकश की थी, लेकिन दिनांकित 12.02.2019 के आदेश के पैराग्राफ 6 में एक अनजाने में टाइपोग्राफिक त्रुटि का लाभ उठाते हुए अपने प्रस्ताव से

पीछे हट गए थे, जिसमें कहा गया था कि "आगे Rs.30 करोड़ की राशि में बैंक गारंटी एक निर्धारित राशि की होगी। भारत में स्थित बैंक "।

16. दिनांकित 12.02.2019 आदेश के परिचालन भाग में दिशा स्पष्ट थी। इसके लिए अपीलकर्ताओं को एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी भारत में स्थित अनुसूचित बैंक।

अपीलार्थी ने एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम v. का अनुपालन किया। पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

निर्देश दिया और Rs.30,00,000,00/की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की

(तीस करोड़) आई. सी. बी. सी. की मुंबई शाखा से।

17. हो सकता है कि दिनांक 1 का आदेश पारित करने में गलती हुई हो, इस अर्थ में कि न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रस्ताव के संदर्भ में एक अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए एक आदेश पारित करने का इरादा किया था। दिनांक 09.04.2019 के आदेश में, विद्वान न्यायाधीश ने बहुत निष्पक्षता से कहा कि आदेश के परिचालन भाग को निर्देशित करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि बैंक गारंटी भारत में स्थित एक अनुसूचित बैंक की होगी। आदेश में यही पढ़ा गया है। पार्टी नहीं हो सकती जारी किए गए आदेश के संदर्भ में कार्य करने के लिए दोषी ठहराया गया, विशेष रूप से जब भारत में स्थित अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की दिशा में कोई पेटेंट या स्पष्ट त्रुटि नहीं थी।

18. यह सच है कि दिनांकित 12.02.2019 आदेश अपीलार्थी की ओर से, वकील के माध्यम से, मौखिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दर्ज करता है।

अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी। तथापि, दिनांकित 12.02.2019 के आदेश के संचारी भाग में दिए गए निर्देश से यह धारणा बनती है कि अपीलार्थी द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के प्रस्ताव ने अदालत को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया होगा, जिसमें अपीलार्थी को किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया होगा।

भारत।

19. जैसा कि दिनांक 09.04.2019 के आदेश में दर्ज है, बैंक को प्रस्तुत करने के निर्देश के कारण कुछ भ्रम हो सकता है।

भारत में स्थित अनुसूचित बैंक की गारंटी। दिनांकित 12.02.2019 आदेश की भाषा और अवधि, साथ ही यह तथ्य कि प्रत्यर्थी ने बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश देने का कोई प्रयास नहीं किया

भारत में स्थित अनुसूचित बैंक के सुधार और/या परिवर्तित होने से पता चलता है कि 'अनुसूचित भारतीय बैंक' शब्द का उपयोग सभी संबंधित पक्षों द्वारा किसी अनुसूचित बैंक की भारतीय शाखा को शामिल करने के लिए समझा गया होगा। बैंक।

20. प्रत्यर्थी के तर्क के विपरीत, जैसा कि न्यायालय के दिनांकित 16.05.2019 आदेश में दर्ज किया गया है, कोई टाइपोग्राफिक नहीं था।

दिनांकित 12.02.2019 क्रम में त्रुटि। यह कहा जा सकता है कि कीबोर्ड की गलत कुंजी दबाने या किसी शब्द या वाक्यांश या यहां तक कि एक वाक्य/वाक्य को छोड़ने या दोहराने के कारण किसी आकृति या शब्द की वर्तनी में अनजाने में गलती होने पर मुद्रण संबंधी त्रुटि होती है। एक मुद्रण संबंधी त्रुटि स्पष्ट है। यहाँ ऐसा नहीं था।

21. भारत में स्थित अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश पूरी तरह से कानूनी है। [2021] 12 एस. सी. आर. का कोई कारण नहीं था।

अपीलार्थी इस आधार पर आगे बढ़ेगा कि निर्देश जारी किया गया था गलती से। प्रत्यर्थी ने निर्देश को सुधारने या बदलने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। इस दिशा को लगभग दो महीने तक बरकरार रखने की अनुमति दी गई थी। इस बीच, अपीलार्थी ने भारत में एक अनुसूचित बैंक, आई. सी. बी. सी. की एक भारतीय शाखा की बैंक गारंटी प्रस्तुत की।

22. इस मामले में, शायद अदालत का इरादा आदेश में सटीक रूप से व्यक्त नहीं किया गया था। हालाँकि, आदेश अन्यथा सही ढंग से लिखा गया था और कानूनी रूप से वैध था। अदालतों के लिए निर्देश देना असामान्य नहीं है, जो मौखिक प्रस्ताव से भिन्न हो सकता है। अपीलार्थी ने दिनांक 1 के आदेश के अनुसार कार्य किया और उक्त आदेश का पालन करने के लिए लगभग 2 लाख का खर्च करके अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया, न्यायालय के लिए आदेश को बदलना उचित नहीं था।

23. दिनांक 09.04.2019 के आदेश से यह स्पष्ट है कि एकल पीठ ने भी स्वीकार किया कि उक्त आदेश के पैराग्राफ 6 में निर्देश की भाषा और अवधि के कारण भ्रम था। इस प्रकार यह न्यायालय ने वास्तव में स्वीकार किया कि अपीलार्थी द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में अपीलार्थी की ओर से कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ होगा।

आई. सी. बी. सी

24. न्यायालय के दिनांकित 09.04.2019 के पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार करने वाले दिनांकित 16.05.2019 के आदेश से व्यथित होकर, आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी को अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी से बदलने के लिए अपीलकर्ता ने एक अपील दायर की

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1ए) के साथ पठित ए एंड सी अधिनियम की धारा 37 के तहत। अपील को इस न्यायालय के समक्ष विवादित 27.11.2020 दिनांकित खंड पीठ के

आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांकित 27.11.2020 आदेश की समीक्षा के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना 12.03.2021 दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष भी चुनौती दी गई है।

25. दिनांकित 12.03.2021 आदेश में कोई दुर्बलता नहीं हो सकती है,

पुनरीक्षण के लिए आवेदन के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करना। पुनरीक्षण के लिए आवेदन की आड़ में किसी मामले पर फिर से बहस नहीं की जा सकती है। न ही पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है। समीक्षा के लिए सभी आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित धारा 114 में निहित सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक अदालत को अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार केवल तभी है जब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित धारा 114 में पूर्ववर्ती शर्तें मौजूद हों।

एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम v. पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

इस मामले में समीक्षा के लिए पूर्व आवश्यकताएं मौजूद नहीं थीं। इसलिए, समीक्षा के लिए आवेदन को अस्वीकार करने वाले दिनांकित 12.03.2021 आदेश की अपील को खारिज कर दिया जाता है।

26. इसलिए, सवाल यह है कि क्या खंड पीठ को यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि उसके समक्ष आक्षेपित आदेश अपील योग्य था, ऐसा करना चाहिए। अपील को खारिज कर दिया है और अपीलार्थी को आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी को नए बैंक गारंटी के साथ बदलने के निर्देश की अनुमति दी है।

एक अनुसूचित भारतीय बैंक, खड़ा होने के लिए। 27. डिवीजन बेंच के समक्ष कार्यवाही में भी, प्रतिवादी ने केवल बैंक प्रस्तुत करने के लिए अपीलार्थी के प्रस्ताव पर जोर दिया

एक अनुसूचित भारतीय बैंक की गारंटी और आगे तर्क दिया कि आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी सशर्त होने के कारण, प्रतिवादी को डर था कि बैंक गारंटी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

28. विशेष रूप से, एकल पीठ का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि बैंक गारंटी सशर्त है। बैंक गारंटी की एक प्रति शामिल है।

पेपर बुक में। बैंक गारंटी में लिखा है:

" अब ये प्रेजेंट गवाह हैं कि दोनों ही बैंकों का एसएआईडी बैंक 12 फरवरी, 2019 को जारी किए गए एसएआईडी आदेश के उद्देश्य के लिए निश्चित है। आर. एस. की राशि। 300,00,000 / - (रुपया केवल तीस करोड़)

और एसएआईडी बैंक दोनों को गारंटी देता है और रजिस्टर जनरल, दिल्ली के साथ समझौता

उच्च न्यायालय ने कहा कि एसएआईडी बैंक आगे बढ़ेगा रुपये की शेष राशि का भुगतान करें। 300,00,000 / - (केवल तीस करोड़ रुपये) रजिस्टर जनरल, दिल्ली को

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश/निर्णय की शर्तों में उच्च न्यायालय 17 तारीख के आर्बिट्रल पुरस्कार का प्रवर्तन

अक्टूबर, 2017 और आदेश/निर्देश/के अनुसार

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय

ऊपर बताए गए से बाहर निकलने वाले मामले में कानूनी प्रक्रियाएँ।

और एसएआईडी बैंक दोनों हीरेबी फ़र्दर

यह घोषणा करें और घोषणा करें कि बैंक गारंटीधारक यहाँ एक वर्ष की अवधि के लिए बल देगा और इसमें शामिल होगा और SAID बैंक बिना किसी मांग [2021] 12 S. C. R. के ऊपर की तरह स्थिति में रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या मांग, कार्रवाई, सूचना या उद्देश्य

पंजीकृत सामान्य, दिल्ली को आगे भुगतान करें उच्च न्यायालय ने RS.300,00,000/की राशि निर्धारित की

(रुपया केवल तीस करोड़)।

और यह इस प्रकार दर्ज किया गया है कि उसने कहा था यहाँ दी गई बैंक गारंटी अपरिवर्तनीय है और

नोटिस या अन्य द्वारा विरोध नहीं किया जाएगा और

यह 12 तारीख के आदेश के अनुरूप है

2017 शीर्षक एम/एस। पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। वी. एस. सेपको विद्युत शक्ति निर्माण

निगम और ओ. एम. पी. (COMM) NO.432/2017 शीर्षक

एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति

निर्माण

निगम बनाम एम/एस। पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

कुछ भी नहीं

कुछ भी

जुड़ा हुआ

एस. ए. आई. डी. बैंक की देनदारी यहाँ है RS.300,00,000/- (आर. यू. पी. ई. एस.)

केवल तीस करोड़)।

साक्षी जहाँ हम, औद्योगिक और

वाणिज्यिक बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, मुंबई

शाखा

अनुसूचीत बैंक का नाम, शाखा और

पता)

नई दिल्ली में इन प्रस्तुतियों को समाप्त कर दिया है

यह 2019 की 22वीं मार्च का दिन है। गारंटी एकीकृत नियमों के अधीन है

माँग गारंटी (यू. आर. डी. जी.) 2010 संशोधन, आई. सी. सी. प्रकाशन NO.758 "।

29. आई. सी. बी. सी. ने स्पष्ट रूप से बैंक को सम्मानित करने पर सहमति व्यक्त की है।

मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश और/या निर्णय पर और लंबित कानूनी कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश/निर्देश/निर्णय के अनुसार गारंटी। बयान कि बैंक गारंटी मांग के लिए समान नियमों के अधीन है

गारंटी (यू. आर. डी. जी.) 2010 संशोधन, बैंक गारंटी की शर्तों को कम नहीं करता है।

न ही यू. आर. डी. जी. बैंक को किसी भी एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम की गारंटी देता है। पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

कम प्रभावी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना शर्त गारंटी देने का निर्देश नहीं दिया।

30. मांग गारंटी के लिए समान नियम (यू. आर. डी. जी.) 758 स्वैच्छिक संविदात्मक नियमों का एक समूह है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स (आई. सी. सी.) मांग गारंटी और काउंटर डिमांड गारंटी पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग अभ्यास के एक निर्धारित मानक को नियमित करने और बनाने के उद्देश्य से।

31. यू. आर. डी. जी. आवेदक, गारंटर और लाभार्थी के वैध और प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करता है और गारंटर और काउंटर गारंटर पर अनुचित कॉल और मांगों के जोखिम को सीमित करता है, जैसे कि आई. सी. सी. के समान सीमा शुल्क और दस्तावेजी क्रेडिट के लिए अभ्यास।

आवेदन; या जहाँ यह पक्षों के बीच लेन-देन या लेनदेन के दौरान लगातार उपयोग में रहा है। 34. यू. आर. डी. जी. के प्रावधान उन मामलों के दायरे तक सीमित हैं जिन पर अनुबंध करने वाले पक्ष अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं, और शासी अधिकार क्षेत्र के अनिवार्य राष्ट्रीय कानूनों के अधीन हैं, जो गारंटर या काउंटर गारंटर का कानून और अधिकार क्षेत्र है, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

केवल इसमें निहित शर्तों के अधीन, जिससे गारंटर बैंक की देनदारियों और अधिकारों को केवल उन मामलों तक सीमित कर दिया जाता है जिनके लिए वह स्वेच्छा से खुद को प्रतिबद्ध करता है। 36. यू. आर. डी. जी. 758 यू. आर. डी. जी. 458 का एक संशोधित संस्करण है। यह संशोधन आई. सी. सी. बैंकिंग आयोग के तत्वावधान में किया गया था और

वाणिज्यिक कानून और व्यवहार पर आई. सी. सी. आयोग।

37. गारंटी पर आई. सी. सी. कार्य बल, स्थायी विशेषज्ञ निकाय

अंतर्राष्ट्रीय गारंटी अभ्यास की निगरानी के लिए 2003 में आई. सी. सी. द्वारा बनाया गया, मसौदा समूह के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य किया जिसने पाँच का उत्पादन किया।

ढाई साल की संशोधन प्रक्रिया के दौरान व्यापक मसौदे।

38. परिणामस्वरूप यू. आर. डी. जी. 758 को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

आई. सी. सी. कार्यकारी बोर्ड 3 दिसंबर 2009 को नई दिल्ली में अपनी बैठक में, दो प्रायोजक आई. सी. सी. आयोगों के सदस्यों द्वारा उनके समर्थन के बाद। वे 1 जुलाई 2010 को लागू हुए, जिसके बाद काफी संख्या में मांग की गारंटी और प्रति-गारंटी लागू हुई।

नए यू. आर. डी. जी. 758 के अधीन दुनिया भर में जारी किया जाना शुरू हो गया।

39. ऐसा प्रतीत होता है कि सभी संबंधित पक्ष आगे बढ़े

यह समझते हुए कि भारतीय रिजर्व बैंक या बैंकिंग विनियमन अधिनियम में 'अनुसूचित भारतीय बैंक' अभिव्यक्ति की किसी विशिष्ट परिभाषा के अभाव में 'अनुसूचित भारतीय बैंक' और 'भारत में स्थित अनुसूचित बैंक' के बीच कोई अंतर नहीं था।

40. 01.01.1984 पर निगमित, आई. सी. बी. सी. एक चीनी राज्य के स्वामित्व में है।

चीन के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई पूंजी के साथ बहु-राष्ट्रीय बैंकिंग कंपनी। आई. सी. बी. सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ए (ए) के साथ पढ़ा जाता है, जिसे इसके बाद आर. बी. आई. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 (सी) और आर. बी. आई. अधिनियम की धारा 45 ए (ए) सुविधा के लिए नीचे दी गई हैं।

" बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी)

भारत में बैंकिंग का व्यवसाय; स्पष्टीकरण। कोई भी कंपनी जो इसमें लगी हुई है

माल का निर्माण या किसी भी व्यापार पर ले जाना और जो

केवल जनता से धन की जमा राशि स्वीकार करता है

ऐसे निर्माता के रूप में अपने व्यवसाय के वित्तपोषण का उद्देश्य या

व्यापारी को बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन करने वाला नहीं माना जाएगा।

इस खंड के अर्थ के भीतर;

XXX

XXX

XXX

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ए (ए)

45(क) "बैंकिंग कंपनी" से ऐसी बैंकिंग कंपनी अभिप्रेत है जो -

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित, एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम v.

पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

और इसमें भारतीय स्टेट बैंक, कोई भी सहायक बैंक शामिल है

भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में परिभाषित, धारा 3 द्वारा गठित कोई भी संबंधित नया बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्थान।

41. आई. सी. बी. सी. आर. बी. आई. अधिनियम की धारा 2 (ई) के अर्थ में एक अनुसूचित बैंक भी है, जो 'अनुसूचित बैंक' को आर. बी. आई. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक के अर्थ में परिभाषित करता है। आई. सी. बी. सी. की शाखा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, भारत में कार्यालय। आई. सी. बी. सी. की मुंबई शाखा को भारत और चीन सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

42. आई. सी. बी. सी. की मुंबई शाखा ने सितंबर 2011 में परिचालन शुरू किया और अधिसूचना डी. बी. ओ. डी. आई. बी. डी. द्वारा आर. बी. आई. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। No.8137/23.03.026/2011-12 दिनांकित 01.12.2011 भारत के राजपत्र में प्रकाशित (भाग III धारा 4)।

43. आई. सी. बी. सी. स्पष्ट रूप से आज तक आर. बी. आई. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बना हुआ है। इस संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि

राजपत्र अधिसूचना द्वारा कुछ बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर रखा गया है।

44. समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचनाओं द्वारा बैंकों को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है:

1 .

अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

2 .

अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक।

3 .

अनुसूचित लघु वित्त बैंक

अनुसूचित भुगतान बैंक

4 .

5 .

अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6 .

भारत में अनुसूचित विदेशी बैंक

45. 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना के अनुलग्नक-1 के संदर्भ में, जिसका उल्लेख पैराग्राफ 2 (बी) में किया गया है:

वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है:

"

अनुलग्नक I

(13 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना के पैरा 2 (बी) का संदर्भ लें)

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सूची

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक

निजी बैंक

1 भारतीय स्टेट बैंक

1 एक्सिस बैंक लिमिटेड

2 बैंक ऑफ बड़ौदा

(विजया बैंक और देना बैंक सहित)

3 बैंक ऑफ इंडिया

4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(सिंडिकेट बैंक सहित)

6 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

7 इंडियन बैंक

(इलाहाबाद बैंक सहित)

8 इंडियन ओवरसीज बैंक

9 पंजाब नेशनल बैंक (सहित)

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड

बैंक ऑफ इंडिया)

10 पंजाब एंड सिंध बैंक

11 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (आंध्र सहित)

2 कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड

3 सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

4 डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड

5 केनरा बैंक

5 धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

6 फेडरल बैंक लिमिटेड

7 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

8 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

9 इंडसइंड बैंक लिमिटेड

10 जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

11 कर्नाटक बैंक लिमिटेड

बैंक और निगम बैंक)

12 यूको बैंक

19 यस बैंक लिमिटेड

20 बंधन बैंक

21 आई. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड

22 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एसईपीसीओ विद्युत शक्ति निर्माण निगम v. पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

विदेशी बैंक

1 रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी.

23 मिज़ुहो कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड

2 अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड

24 ओमान इंटरनेशनल बैंक

3 एंटीवेर्प डायमंड बैंक एन. वी.

25 सोसाइटी जनरल

4 | अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड (एबी)

26 सोनाली बैंक

बैंक)

27 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

5 बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया

6 बैंक ऑफ अमेरिका

28 स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस

29 जेएससी-वीटीबी बैंक

7 बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी. एस. सी.

8 बैंक ऑफ सीलोन

30 यूबीएस-एजी

31 अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग

9 बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया

निगम

10 बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी लिमिटेड।

32 फर्स्ट रैंड बैंक लिमिटेड

33 कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया

11 बार्कलेज बैंक

12 बीएनपी परिबास

34 यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड

13 चाइना ट्रस्ट बैंक

35 क्रेडिट सुइस ए. जी.

36 Sberbank

14 शिनहान बैंक

37 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग

15 सिटी बैंक एन. ए

ग्रुप लिमिटेड.

16 क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट और

38 रबोबैंक इंटरनेशनल

निवेश बैंक

39 नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक

17 डॉयचे बैंक

18

डीबीएस बैंक लिमिटेड

40 वूरी बैंक

19 हांगकांग और शंघाई बैंकिंग

41 औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक

कॉर्प. लि.

चीन

42 सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग

20 जे. पी. मॉर्गन चेस बैंक एन. ए.

निगम

21

क्रुंग थाई बैंक

43 वेस्टपैक बैंकिंग निगम

22 माशरेकबैंक

44 दोहा बैंक

46. एक अनुसूचित बैंक और एक बैंकिंग कंपनी के रूप में

बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अर्थ है, आई. सी. बी. सी. आर. बी. आई. अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के नियामक प्रावधानों और उसके तहत जारी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि द्वारा शासित होता है। बैंक गारंटी/मांग गारंटी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र और निर्देश आई. सी. बी. सी. पर बाध्यकारी हैं।

47. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम केवल 'अनुसूचित बैंकों' को परिभाषित करता है जिसमें शामिल हैं -

भारत में कार्यरत अनुसूचित विदेशी बैंक। आर. बी. आई. अधिनियम या दूसरी अनुसूची अनुसूचित भारतीय बैंकों को अलग नहीं करती है। आर. बी. आई. अधिनियम में अनुसूचित भारतीय बैंक की कोई परिभाषा नहीं है। आर. बी. आई. अधिनियम के नियामक प्रावधान सभी अनुसूचित बैंकों पर समान रूप से लागू होते हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. हालाँकि, भारत में अनुसूचित विदेशी बैंकों की एक सूची है जिसे राजपत्र द्वारा दूसरी अनुसूची में अलग से वर्गीकृत किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य में पंजीकृत प्रमुख शाखा और भारत में अनुसूचित विदेशी बैंकों की श्रेणी में सूचीबद्ध, उच्च न्यायालय ने आई. सी. बी. सी. और 'अनुसूचित भारतीय बैंक' के बीच अंतर किया। 49. इस न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका के अनुलग्नक, जो इन अपीलों में पेपर बुक का हिस्सा हैं, से पता चलता है कि आई. सी. बी. सी.

न केवल भारत में एक अनुसूचित बैंक है, बल्कि यह परिसंपत्ति मूल्य के मामले में भी कम से कम तीन अत्यंत आधिकारिक सूचियों में बहुत उच्च स्थान पर है।

बैंकर के शीर्ष 1000 विश्व बैंक 2018 ',' द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 2019 'और' द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 उप-वाणिज्यिक बैंकों की सूची '। 50. अपीलार्थी द्वारा यह कहा गया है कि आई. सी. बी. सी. ने अपनी परिसंपत्तियों के कुल मूल्य के साथ वर्ष 2018 में आर. एम. बी. 298.7 बिलियन का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

27,699,540 (RMB लाखों में) पर मूल्यांकन किया गया। श्री विश्वनाथन प्रस्तुत करते हैं कि आई. सी. बी. सी. का वैश्विक बैंकिंग में सबसे बड़ा कुल शुद्ध लाभ बना हुआ है।

उद्योग.

51. ऐसा प्रतीत होता है कि आई. सी. बी. सी. की मुंबई शाखा ने इंडियन माइक्रो में निवेश के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए एक कोष की स्थापना की है।

लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यह भारतीय वाणिज्यिक बाजार के भीतर आई. सी. बी. सी. की विश्वसनीयता स्थापित करता है।

52. आर. बी. आई. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में आई. सी. बी. सी. को भारत में अनुसूचित विदेशी बैंकों की उसी श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है जो मानक है।

चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एच. एस. बी. सी. लिमिटेड आदि जो बैंकिंग के क्षेत्र में भारत में घरेलू नाम हैं। दूसरी ओर, अनुसूचित भारतीय बैंक, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुसूचित विदेशी बैंकों की श्रेणी को छोड़कर दूसरी अनुसूची में सभी श्रेणियों के बैंकों को शामिल करेगा। इसलिए अनुसूचित बैंकों में अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक जैसे बंधन बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, रत्नाकर बैंक एसईपीसीओ इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन v शामिल होंगे।

पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

लिमिटेड, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, नैनीताल बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड आदि।

53. श्री अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने विरोध किया

उत्तरदाताओं की ओर से ये अपीलें अनुसूचित भारतीय बैंकों की वरीयता में आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के कारण होने वाले किसी भी वास्तविक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित नहीं कर सकीं और न ही वे अनुसूचित निजी क्षेत्र की वरीयता के लिए कोई प्रशंसनीय कारण दिखा सके।

भारत में बैंकों से लेकर आई. सी. बी. सी. जैसे अनुसूचित विदेशी बैंकों तक। 54. जैसा कि 2019 की एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) No.136 की अपील में अनुरोध किया गया है, उत्तरदाता आई. सी. बी. सी. के चूक, धोखाधड़ी या किसी अन्य कदाचार के एक भी उदाहरण का विज्ञापन नहीं कर पाए हैं जो आई. सी. बी. सी. की क्षमता या उसके द्वारा जारी बैंक गारंटी का सम्मान करने के झुकाव पर कोई संदेह पैदा कर सकता है।

55. यह समझ से बाहर है कि भारत में अनुसूचित निजी बैंक क्यों हैं।

भारत में उच्च वैश्विक रेटिंग वाले अनुसूचित विदेशी बैंकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही कुछ अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऐसा नहीं किया हो

यहाँ तक कि अच्छी तरह से चल रहा था। इस रिपोर्ट का न्यायिक संज्ञान लेना शायद अनुचित नहीं होगा कि मार्च, 2020 में, एक निजी क्षेत्र के बैंक, यस बैंक, जो पूरी तरह से वित्तीय पतन के कगार पर था, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थगन के तहत रखा गया था। यस बैंक को इस न्यायालय द्वारा एक उदाहरण के रूप में केवल भारत में अनुसूचित विदेशी बैंक की तुलना में अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी पर जोर देने की भ्रांति को स्पष्ट करने के लिए उद्धृत किया गया है, और यस बैंक या किसी अन्य अनुसूचित बैंक के वर्तमान कामकाज पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है।

भारत में निजी क्षेत्र। 56. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायालय के पास बैंक गारंटी के लाभार्थी के हितों की रक्षा के लिए किसी भी विशिष्ट बैंक या बैंकों के वर्ग से बैंक गारंटी पर जोर देने का विवेकाधिकार है। न्यायालय वैध रूप से किसी बैंक की बैंक गारंटी को अस्वीकार कर सकता है।

इतिहास जो इसकी विश्वसनीयता के संबंध में संदेह पैदा करता है। इस मामले में, आई. सी. बी. सी. की विश्वसनीयता या इसकी वित्तीय क्षमता या सम्मान करने की इच्छा के संबंध में किसी भी संदेह को जन्म देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

गारंटी।

57. आई. सी. बी. सी. के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल सामग्री के अभाव में और इसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाने वाली रिपोर्टों के प्रकाश में, मेरा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को [2021] 12 एस. सी. आर. को बदलने का निर्देश देने में गलती की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी, जो पहले से ही आई. डी. 1 पर पारित न्यायालय के आदेश के अनुसरण में एक अन्य बैंक गारंटी के साथ प्रस्तुत की गई है, बैंकिंग गतिविधियों के क्षेत्र में व्यावहारिक वास्तविकताओं से अनजान है, विशेष रूप से उन बैंकों से बैंक गारंटी प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में जिनके साथ आवेदक का कोई लेनदेन नहीं है और गारंटी प्राप्त करने के लिए बैंक शुल्क के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा पहले से ही किए गए खर्च की अनदेखी करती है। 58. श्री सिंघवी ने हताशा में एक तर्क के रूप में कहा कि याचिकाकर्ता ने इतना खर्च नहीं किया होता अगर

न्यायालय के समक्ष विभिन्न कार्यवाहियों का सहारा लेने के बजाय दिनांकित 09.04.2019 आदेश का पालन किया। 09.04.2019 के आदेश के शीघ्र अनुपालन ने अपीलार्थी को बैंक गारंटी के नवीनीकरण की लागत को बचाया होगा। हालाँकि, लगभग Rs.30 लाख की प्रारंभिक राशि दिनांकित 09.04.2019 के आदेश के पारित होने से बहुत पहले ही खर्च की जा चुकी थी।

यू. आर. डी. जी. गारंटी को कमजोर या सशर्त नहीं बनाता है। श्री सिंघवी के मुवक्किल यह प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं कि कैसे यू. आर. डी. जी. बैंक गारंटी के लाभार्थी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। 12.02.2019 पर एक आदेश पारित करने के बाद जिसमें निर्देश दिया गया था ". इसके अलावा, बैंक गारंटी में आई. डी. 1 करोड़ की राशि भारत में स्थित किसी अनुसूचित बैंक की होगी। जिसके आधार पर अपीलार्थी ने आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए आई. डी. 1 लाख का विस्तार करके अपनी स्थिति को अपने नुकसान के लिए बदल दिया। उच्च न्यायालय लगभग दो महीने के बाद और उसके अनुपालन के बाद उक्त निर्देश को बदलने और/या संशोधित करने में उचित नहीं था।

60. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) में डिवीजन बेंच के दिनांक 27.11.2020 के विवादित फैसले और आदेश की अपील।

(सी. ओ. एम. एम.) 2019 की सं. 136 की अनुमति है। 2019 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) संख्या 136 में डिवीजन बेंच के विवादित निर्णय और आदेश और ओ. एम. पी. (आई.) (सी. ओ. एम. एम.) <आई. डी. 4 में दिनांकित 09.04.2019 और 16.05.2019 के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है।

आदेश *

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में मेरी विद्वान बहन द्वारा एक अच्छे विश्लेषण के बावजूद

विनियमन अधिनियम, 1949 और माननीय न्यायाधीश ने अधिनियम में परिभाषित 'अनुसूचित बैंक' के बीच जो अंतर रखा है, वह 'अनुसूचित भारतीय बैंक' के विपरीत है जिसे कहीं भी वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, मुझे खेद है।

* एड। ध्यान दें: माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम द्वारा पारित आदेश v.

पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

अपने विद्वान द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में मेरी असमर्थता

बहन। मेरे सुविचारित विचार में, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं। इसके कारण नीचे दिए गए हैं।

2. जैसा कि मेरी बहन ने बताया, पुरस्कार-देनदार ने इन विशेष अवकाश याचिकाओं को चुनौती दी है (i) एक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत अपील; और (ii) उससे उत्पन्न होने वाली समीक्षा याचिका को खारिज करना। अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम उपाय के लिए एक आवेदन में पारित आदेश को वापस लेने के लिए एक याचिका की अस्वीकृति से उत्पन्न हुई।

3. याचिकाकर्ता को 17.10.2017 दिनांकित एक मध्यस्थता पुरस्कार का सामना करना पड़ा

Rs.142,41,14,499/- के योग में। यह पुरस्कार एक याचिका ओ. एम. पी. (सी. ओ. एम. एम.) में चुनौती का विषय है। धारा 34 के तहत 2017 का No.432 अधिनियम से। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 34 के तहत याचिका के साथ पुरस्कार के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन था, लेकिन अभी तक इसका अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया गया है।

4. हालाँकि प्रतिवादी ने एक स्वतंत्र याचिका दायर की

अधिनियम की धारा 9, और याचिकाकर्ता को पुरस्कार राशि सुरक्षित करने के लिए निर्देश देने की मांग की। ओ. एम. पी. (1) (सी. ओ. एम. एम.) में 2018 के I.A.No.11128 में उक्त याचिका में 2017 का No.523,12.02.2019 पर एक आदेश पारित किया गया था। चूँकि हमारे सामने विवाद की उत्पत्ति का पता उक्त आदेश से लगाया जा सकता है, इसलिए इसे इस प्रकार निकाला गया है:

" 1. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सेठी का कहना है कि वह एक हलफनामा दायर करेंगे जिसमें निम्नलिखित कहा जाएगा:

(i) उन परिसंपत्तियों की सूची जिनका उल्लेख मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए उनके स्थान और मूल्यांकन के साथ मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट में मिलता है।

((ii) उन परिसंपत्तियों की सूची जिनका मूल्यांकन उसके अनुसार नहीं किया गया है। इन परिसंपत्तियों के संबंध में उनका स्थान और

अनुमानित मूल्यांकन भी दिया जाएगा।
(iii) Rs.30 करोड़ की राशि में बैंक गारंटी दें।

एक अनुसूचित भारतीय बैंक।

2. विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि चीन में वसंत उत्सव के कारण, बैंक को प्रस्तुत करने में कम से कम छह (6) सप्ताह लग सकते हैं

गारंटी।

3. श्री सेठी का कहना है कि हालांकि, हलफनामा इसके भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। अगले दो (2) सप्ताह। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

4. निर्णय देनदार दो (2) सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करेगा, जिसकी एक प्रति डिक्री धारक के वकील को दी जाएगी।

5. जहां तक बैंक गारंटी का संबंध है, इसे 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि वकील द्वारा संकेत दिया गया है। 6. इसके अलावा, Rs.30 करोड़ की राशि में बैंक गारंटी होगी।

भारत में स्थित किसी अनुसूचित बैंक का हो।

7. 31.7.2019 पर मामले को फिर से सूचित करें। 8. इस बीच, निर्णय देनदार दिनांकित आदेश के संदर्भ में इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करना जारी रखेगा।

24.7.2018 . "

5. उपरोक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, मुंबई शाखा द्वारा दिनांक 22.03.2019 (इसके बाद ICBC को संदर्भित) द्वारा जारी एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद प्रत्यर्थी ने दूसरा कदम उठाया

ओ. एम. पी. (आई) (सी. ओ. एम. एम.) में 2019 के I.A.No.5185 में आवेदन। 2017 का No.523 उन राशियों के संबंध में गार्निशी आदेश की मांग करता है जो याचिकाकर्ता के साथ किए गए निपटान समझौते के तहत प्राप्त करने का हकदार था।

उनके ग्राहकों में से एक। उक्त आवेदन पर विचार करते समय, विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि याचिकाकर्ता ने एक अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बजाय, दिनांकित आदेश के पैराग्राफ 6 में उत्पन्न भ्रम को देखते हुए आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।

12.02.2019 . इसलिए, 2019 के I.A.No.5185 में 09.04.2019 पर पारित एक आदेश द्वारा, विद्वान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी को एक अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी के साथ बदलने का निर्देश दिया। विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग 2019 का I.A.No.5185 दिनांकित 09.04.2019 इस प्रकार है:

.....

5. इसके अलावा, श्री सेठी का कहना है कि दिनांकित 12.02.2019 के आदेश के अनुपालन में, जिसमें प्रतिवादी को अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, प्रतिवादी ने उसी का पालन किया है और औद्योगिक और बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।

अनुसूचित भारतीय बैंक और वह संचालक को निर्देशित करते हुए आदेश के हिस्से के रूप में, मैंने संकेत दिया था कि यह एक अनुसूचित एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम v होगा।

पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

इसलिए, भारत में स्थित बैंक, यदि कोई भ्रम पैदा करता है, तो अब हटा दिया जाता है। प्रत्यर्थी बैंक का स्थान लेगा। समतुल्य
मूल्य के अनुसूचित भारतीय बैंक की गारंटी के साथ दायर की गई गारंटी।

.....

7. यहाँ यह इंगित करना प्रासंगिक है कि दिनांकित 09.04.2019 आदेश उसी न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था जिसने दिनांकित आदेश पारित किया था।

12.02.2019 . इस प्रकार विद्वान न्यायाधीश को पता था कि 12.02.2019 पर अदालत में क्या हुआ और इसलिए 09.04.2019 के आदेश में दर्ज किया गया कि 12.02.2019 पर अदालत में क्या हुआ। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अदालत में सुनवाई के दौरान जो हुआ उसके बारे में न्यायिक आदेश में जो दर्ज किया गया है, उसे जो हुआ उसका सही प्रतिबिंब माना जाना चाहिए।

8. हालाँकि, याचिकाकर्ता ने 2019 के I.A.No.7096 में एक आवेदन दायर किया जिसमें अनुच्छेद 6 में निहित निर्देशों को वापस लेने की मांग की गई।

दिनांकित आदेश 09.04.2019। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य शिकायत यह थी कि बैंक गारंटी की अस्वीकृति नहीं

आई. सी. बी. सी. द्वारा प्रस्तुत किए जाने को बैंक की प्रतिष्ठा पर प्रतिबिंब के रूप में लिया जा सकता है।

9. लेकिन दिनांक 16.05.2019 के एक आदेश द्वारा, विद्वान न्यायाधीश ने 2019 के I.A.No.7096 को खारिज कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि आई. सी. बी. सी. की साख यहाँ नहीं है। सभी को संदेह था और यह कि दिनांकित 09.04.2019 आदेश द्वारा जो करने की मांग की गई थी, वह केवल एक त्रुटि को ठीक करने के लिए थी जो दिनांकित 12.02.2019 क्रम में आई थी। 16.05.2019 दिनांकित आदेश का पैराग्राफ 5 इस प्रकार है:

.....

5. मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर सकता हूं कि यह इस अदालत का प्रयास नहीं है।

आई. सी. बी. सी. की साख पर किसी भी तरह से संदेह करना। हालाँकि, अभिलेख से पता चलता है कि आवेदक/प्रतिवादी ने वास्तव में,

अपने दम पर, एक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की पेशकश की

अनुसूचित भारतीय बैंक। आवेदक/प्रत्यर्थी के मन में भ्रम, यदि कोई हो, जैसा कि श्री निगम द्वारा सही बताया गया है, 09.04.2019 पर हटा दिया गया था। आवेदक/प्रत्यर्थी ने उस ओर से जारी स्पष्टीकरण के लगभग चार सप्ताह बाद यह आवेदन दायर किया है। इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, आवेदक/प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर एक आदेश पारित करने के बाद, मुझे निर्देश को वापस लेने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता है।

..... " [2021] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. 16.05.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए, I.A.No में पारित किया गया। 2019 का 7096, याचिकाकर्ता ने एक अंतर-अदालत अपील दायर की

एफ. ए. ओ. (ओएस) (कॉम.) नहीं। 136 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के साथ पठित अधिनियम की धारा 37 के तहत 2019 का अधिनियम। यह अपील थी

डिवीजन बेंच द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपील के तहत आदेश एक अंतरिम था जो काफी हद तक विवेकाधीन है और अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपील में अपीलीय अदालत का दायरा और शक्ति कुछ कारकों तक सीमित है।

11. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2021 के R.P.No.5 में समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें दिनांकित 27.11.2020 आदेश की समीक्षा की मांग की गई। समीक्षा याचिका को 12.03.2021 दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, अपील को खारिज करने और समीक्षा याचिका को खारिज करने को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता इन विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ आया है।

12. इस प्रकार हमारे पास 2 विशेष अनुमति याचिकाएँ हैं, एक धारा 37 के तहत अपील को खारिज करने को चुनौती देती है और दूसरी धारा 37 के तहत अपील को खारिज करने को चुनौती देती है।

पुनरीक्षण याचिका को खारिज करना। समीक्षा याचिका में पारित आदेश से उत्पन्न एस. एल. पी. को बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में निर्धारित मापदंडों के अभाव के कारण अदालत द्वारा अपने आदेश की समीक्षा करने से इनकार करना, सार्वजनिक महत्व के कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म नहीं दे सकता है, जो अनुच्छेद 136 के तहत हमारे हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित एक अंतरिम आदेश। जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ठीक ही कहा है, अंतरिम आदेश विवेकाधीन हैं और विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है, यहां तक कि अदालत के भीतर की अपील में भी, अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी में बहुत कम। 14. विद्वान न्यायाधीश ने 09.04.2019 पर जो कुछ भी किया, वह एक गलती को सुधारना था जो अनजाने में उनके आदेश में आ गई थी। यह सुधार कि

विद्वान न्यायाधीश ने 12.02.2019 पर पहली बार में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुरूप करना चाहा। जब एक अंतरिम आदेश विशेष रूप से एक पक्ष द्वारा, विशेष रूप से उसी विद्वान न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाली तथ्य स्थिति में पारित किया गया है, तो मैं यह समझने में विफल रहता हूं कि मामले को उस स्थिति तक कैसे बढ़ाया जा सकता है जो कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है जिसके तहत हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 136।

15. मैंने पूर्ण रूप से निकाला है, 12.02.2019 दिनांकित पहला आदेश और 09.04.2019 और 16.05.2019 दिनांकित आदेशों के प्रासंगिक भाग।

एसईपीसीओ विद्युत शक्ति निर्माण निगम

वी. पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

दिनांकित 12.02.2019 आदेश से पता चलता है (i) कि यह एक न्यायनिर्णायक नहीं था

आदेश लेकिन पूरी तरह से याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया; और (ii) आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 ने याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता के लिए एक हलफनामा दायर करने के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का बयान दिनांक 12.02.2019 के आदेश के पैराग्राफ 1 में दर्ज किया गया है। दिनांकित 12.2.2019 आदेश का पैराग्राफ 1 तीन वस्तुओं को इंगित करता है जिनके संबंध में याचिकाकर्ता ने एक फाइल करने का बीड़ा उठाया

शपथ पत्र। मद सं। ((iii) अनुच्छेद 1 का यह बहुत विशिष्ट है कि शपथ पत्र की सामग्री में से एक राशि में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होना चाहिए।

एक अनुसूचित भारतीय बैंक के Rs.30 करोड़ का '। पैराग्राफ 5 याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के भीतर 'जैसा कि वकील द्वारा संकेत दिया गया है' बैंक गारंटी देने का निर्देश देता है। 16. एक स्पष्ट प्रश्न के लिए कि क्या पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सभी तीन मदों वाला एक हलफनामा दायर किया गया था या नहीं, जैसा कि निर्देश दिया गया था।

दिनांकित 12.02.2019 आदेश के पैराग्राफ 4 में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन का जवाब था कि

वस्तु संख्या में बताए गए मामलों को शामिल करने वाला शपथ पत्र। ((i) और (ii) आदेश के अनुच्छेद 1 को दायर किया गया था और यह कि निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ 6 में भारत में स्थित किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए, पैराग्राफ 1 की मद संख्या (iii) में शामिल मामले को शपथ पत्र में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

17. लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि किसी कार्यवाही का कोई पक्ष प्रस्ताव देकर आदेश आमंत्रित करता है, तो वह आदेश में की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए बाध्य है।

प्रस्ताव का रूप। श्री के. वी. विश्वनाथन का यह तर्क कि उनके मुवक्किल द्वारा दिनांकित आदेश के अनुच्छेद 1 (iii) में किसी अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव आदेश के अनुच्छेद 6 द्वारा संशोधित किया गया है, स्वीकार्य नहीं है। यही कारण है कि वही विद्वान न्यायाधीश, जिनसे 12.02.2019 दिनांकित आदेश आमंत्रित किया गया था, ने 09.04.2019 पर स्पष्ट किया कि उनके मन में जो था वह वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक बार जब वही विद्वान न्यायाधीश स्पष्ट कर देता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार करने

का कोई इरादा नहीं था, तो यह अपीलीय न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि वह विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को बाधित करे।

18. दोनों दिनांकित 09.04.2019 और 16.05.2019 आदेशों में, उसी विद्वान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था (i) अदालत में क्या हुआ; (ii) क्या पेश किया गया था; और (iii) दिनांकित 12.02.2019 आदेश का उद्देश्य क्या था। इसलिए मामले को वहीं रुकने दिया जाना चाहिए।

19. यहां तक कि इस तर्क पर भी कि आई. सी. बी. सी. की साख पर संदेह किया जाएगा, विद्वान न्यायाधीश ने अपने दिनांक 09.04.2019 के आदेश में विचार किया और मामले को स्पष्ट किया गया। इसलिए आई. सी. बी. सी. की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुँचाने का सवाल ही नहीं उठता।

20. अंत में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने तर्क दिया कि बैंक गारंटी उनके द्वारा ली गई थी।

आई. सी. बी. सी. से याचिकाकर्ता, Rs.30 लाख के गैर-वापसी योग्य शुल्क के भुगतान पर और इसलिए यह मानते हुए कि न्यायालय की ओर से कोई गलती हुई थी, इसे न्यायालय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को Rs.30 लाख का वित्तीय नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा "एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट" उक्ति को लागू करने की मांग की जाती है।

21. लेकिन मेरे विचार में याचिकाकर्ता को नुकसान के लिए खुद को दोषी ठहराना होगा। 12.02.2019 दिनांकित आदेश ने (i) याचिकाकर्ता को दिनांकित 12.02.2019 आदेश के पैराग्राफ 1 में इंगित मामलों के सभी तीन मदों को शामिल करते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया; और (ii) वकील द्वारा संकेतित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय। इसलिए याचिकाकर्ता को आई. सी. बी. सी. से बैंक गारंटी लेने से पहले तीनों अवयवों वाला एक हलफनामा दायर करना चाहिए था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो हलफनामे में एक बयान होता, जो या तो उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुरूप होता या आदेश में जो उल्लेख किया गया था। इस तरह से एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा,

उत्तरदाताओं को जागने का आह्वान किया और याचिकाकर्ता की वास्तविकता को दिखाया। लेकिन ऐसा किए बिना, याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें केवल पैराग्राफ 1 की वस्तुओं (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले मामले शामिल थे और उसके बाद आई. सी. बी. सी. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की। चूंकि याचिकाकर्ता ने उनके द्वारा की गई कार्रवाई को नहीं अपनाया, इसलिए उनके लिए यह कहना खुला

नहीं है कि उन्हें दिनांकित 12.02.2019 के आदेश के पैराग्राफ 6 में दिए गए निर्देश से गुमराह किया गया था और इसलिए उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

अदालत द्वारा की गई गलती के कारण।

22. यह एक ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता ने एक अनुसूचित भारतीय बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का स्पष्ट प्रस्ताव देने के बाद, आदेश के पैराग्राफ 6 में आई गलती का लाभ उठाएँ। इसलिए, वह लैटिन उक्ति "एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" का लाभ उठाने का हकदार नहीं है।

23. मेरे विनम्र विचार में, ये विशेष अनुमति याचिकाएं एस. ई. पी. सी. ओ. विद्युत शक्ति निर्माण निगम के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विचार किए जाने के योग्य नहीं हैं।

वी. पावर मशीन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

भारत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि (i) वही न्यायाधीश जिसने 12.02.2019 दिनांकित पहला आदेश पारित किया, अपने बाद के आदेश द्वारा इसे स्पष्ट किया।

दिनांक 09.04.2019; (ii) उसी विद्वान न्यायाधीश ने 16.05.2019, दिनांकित 09.04.2019 आदेश को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया; (iii) कि उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक खंड पीठ ने दिनांकित 16.05.2019 आदेश से उत्पन्न अपील को खारिज कर दिया; और (iv) कि वाणिज्यिक खंड पीठ ने समीक्षा को खारिज करके अपने आदेशों को फिर से दोहराया।

याचिका। हमें याद रखना चाहिए कि यह सब अधिनियम की धारा 9 के तहत एक अंतरिम उपाय से उत्पन्न हुआ और याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक याचिका में इस सब को परेशान करने की मांग कर रहा है जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल है।

बाद में। यदि याचिकाकर्ता से किसी भी प्रस्ताव के बिना, अदालत द्वारा याचिकाकर्ता को किसी विशेष प्रकार के बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए एक निर्णय दिया गया था और उसके बाद एक विवाद उठाया गया था, तो ही वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में ऐसे बैंक की स्थिति के बारे में कानून का सवाल उत्पन्न होता। 25. इसलिए, अपने विचार में और अपनी विद्वान बहन के लिए सबसे बड़े सम्मान के साथ, मैं विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करना उचित समझता हूं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म नहीं देता है।

आदेश *

चूंकि हम सहमत नहीं हो पाए हैं, इसलिए मामले को तुरंत भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

दिशा निर्देश।

अंकित ज्ञान

मामला माननीय सीजेआई के समक्ष रखा जाना है।

* एड। ध्यान दें: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती इंदिरा बनर्जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन द्वारा पारित सामान्य आदेश।